भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3185**

13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**एकीकृत स्वास्थ्य परिचर्या व्यवस्था को बढ़ावा देना**

3185. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों में आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुष पद्धतियों को जोड़कर एकीकृत स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की ऐसी पहलों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विशेषकर चंपारण जिले सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत बिहार में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और स्थानीय किसानों पर उनका प्रभाव क्या है; और

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष दवाओं की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) और (ख): भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की नीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जा सके। आयुष चिकित्सकों/पैराचिकित्सकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए सहयोग राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान किया जा रहा है। बिहार के चंपारण सहित पीएचसी, सीएचसी और डीएच में सह-स्थापित आयुष सुविधाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के 'औषधीय पादप' घटक के तहत, चिन्हित समूहों/क्षेत्रों में 140 प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की बाजार संचालित खेती को सहयोग दिया गया था और इसे बिहार सहित पूरे देश में चयनित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मिशन मोड में कार्यान्वित किया गया था। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई थी:-

(i) किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती।
(ii) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की खेती और आपूर्ति के लिए पश्चवर्ती संपर्कों के साथ नर्सरियों की स्थापना।
(iii) अग्रवर्ती संपर्कों के साथ फसलोपरांत का प्रबंधन।
(iv) प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना आदि।

अब तक, आयुष मंत्रालय द्वारा 287.201 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई थी तथा केंद्रीय हिस्से के रूप में 172.32 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी और वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक एनएएम योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत बिहार में औषधीय पौधों की खेती के

तहत, 07 प्रजातियों नामतः गिलोय, कालमेघ, शतावरी, तुलसी, बच, सर्पगंधा और सफेद मूसली के लिए 175 हेक्टेयर क्षेत्र, 07 नर्सरियां, 14 फसलोपरांत प्रबंधन इकाइयां (भंडारण/गोदाम और सुखाने का शेड) और 07 प्रसंस्करण इकाइयों को सहयोग प्रदान किया गया। विवरण **संलग्नक-II** पर दिया गया है। वर्तमान में, आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) किसानों की भूमि पर औषधीय पौधों की खेती/रोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहा है।

(ङ): यह मंत्रालय एनएएम योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष औषधियों की उपलब्धता और किफायत को सुनिश्चित करने के लिए आयुष अस्पताल/औषधालय को औषधि की आपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल के स्तर पर आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन जैसी विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को सहयोग प्रधान कर रहा है।

*****

**संलग्नक-I**

**पीएचसी, सीएचसी और डीएच में सह-स्थापित आयुष सुविधाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | डीएच | सीएचसी | पीएचसी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 9 | 105 | 273 | 387 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 34 | 50 | 100 |
| 3 | असम | 21 | 110 | 364 | 495 |
| **4** | बिहार | **36** | **0** | **0** | **36** |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 18 | 98 | 454 | 570 |
| 6 | गोवा | 2 | 6 | 22 | 30 |
| 7 | गुजरात | 0 | 0 | 868 | 868 |
| 8 | हरियाणा | 21 | 101 | 106 | 228 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | झारखंड | 24 | 188 | 97 | 309 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | कर्नाटक | 15 | 78 | 375 | 468 |
| 21 | केरल | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 36 | 99 | 285 | 420 |
| 14 | महाराष्ट्र | 23 | 238 | 20 | 281 |
| 15 | मणिपुर | 7 | 17 | 78 | 102 |
| 16 | मेघालय | 11 | 25 | 54 | 90 |
| 17 | मिजोरम | 12 | 9 | 10 | 31 |
| 18 | नागालैंड | 9 | 20 | 9 | 38 |
| 19 | ओडिशा | 0 | 302 | 858 | 1160 |
| 20 | पंजाब | 15 | 72 | 100 | 187 |
| 21 | राजस्थान | 0 | 52 | 146 | 198 |
| 22 | सिक्किम | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 23 | तमिलनाडु | 37 | 388 | 475 | 900 |
| 24 | तेलंगाना | 0 | 42 | 352 | 394 |
| 25 | त्रिपुरा | 3 | 21 | 84 | 108 |
| 26 | उत्तराखंड | 13 | 53 | 44 | 110 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 102 | 666 | 627 | 1395 |
| 28 | पश्चिमी बंगाल | 8 | 280 | 368 | 656 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 3 | 4 | 20 | 27 |
| 30 | चंडीगढ़ | 1 | 2 | 29 | 32 |
| 31 | दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 32 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | जम्मू-कश्मीर | 13 | 13 | 372 | 398 |
| 34 | लद्दाख | 2 | 7 | 32 | 41 |
| 35 | लक्षद्वीप | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 36 | पुदुचेरी | 4 | 4 | 39 | 47 |
| | | **469** | **3042** | **6628** | **10139** |

स्रोत: दिनांक 31 मार्च 2024 तक एनएचएम-एमआईएस डेटाबेस के अनुसार

**संलग्नक–II**

**वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत बिहार में अनुमोदित की गई गतिविधियों का विवरण।**

| **क्र.सं.** | **गतिविधियाँ** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20** | | **2020-21** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **वास्तविक** | **वित्तीय** | |
| 1 | औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (क्षेत्रफल हेक्टेयर में) | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 74.487 | 0 |
| 2 | नर्सरी की स्थापना | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.75 | 0 |
| 3 | फसलोपरांत प्रबंधन इकाइयों की संख्या (संख्या में) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 140 | 0 |
| 4 | प्रसंस्करण इकाई | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39.97 | 0 |
| 5 | फ्लेक्सी घटक | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23.994 | 0 |
| 6 | अनुमोदित निधि (लाख रुपए में) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.201 | 0 |
| 7 | जारी निधि (केंद्रीय हिस्सा) (लाख रुपए में) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.32 | 0 |